राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
न्यू.आई.टी. बिल्डिग, योजना भवन, सी–स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर,
#राजस्थान_सतर्क_है,

Do IT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

अति–आवश्यक

क्रमांकः एफ8(349)सूप्रौ / सामान्य / 19 / ML-417 दिनांक 06/05/2020

कार्यालय–आदेश

राज्य में कोरोना के संक्रमण (COVID-19) को फैलने से रोकने के लिए राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश क्रमांक एफ(1)चिस्वा / ग्रुप–2 / 2020 जयपुर दिनांक 22.03.2020 के अनुक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को अति–आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है।

उक्त क्रम में विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निम्न प्रकार निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. विभाग द्वारा **RSMP(RajConect)** मोबाइल ऐप लॉच किया गया है। इस ऐप द्वारा अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य संबंधित पुछे गये प्रश्नों को दिनांक 06.05.2020 सांय 05.00 बजे तक भरा जाना है। दिशा–निर्देश निम्न प्रकार है:–
   - गूगल प्ले स्टोर से **RSMP(RajConect)** मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड़ करके इसमें Government Emp segment चयन कर SSO ID के माध्यम से लॉगिन करना है।
   - एप्लीकेशन में COVID-19 बटन पर Click करने पर एक Pop-up window खुलेगी। इस pop-up window में COVID-19 Survey section में आपको Govt. Emp बटन पर Click करना है।
   - इसमें आपको Emp. Self/Family Survey विकल्प का चयन करना है तथा इसमें उपलब्ध Self Survey सुविधा का उपयोग कर स्वंय के स्वास्थ्य से संबंधित पूछे गये प्रश्नों का जवाब देकर Survey को Submit करना है।
2. विभाग में पदस्थापित अधिकारियों / कर्मचारियों जो किसी गंभीर रोग (कैंसर, किडनी, उच्च रक्तचाप, हृदय, मधुमेह आदि) से पीड़ित है, उन्हें दिनांक 31.05.2020 तक कार्यालय में नियमित उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं हैं।
3. विभाग में पदस्थापित अधिकारियों / कर्मचारियों जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हैं, वे वैकल्पिक दिवस (शनिवार सहित) के आधार पर कार्यालय समय में उपस्थित होंगे।
4. कार्मिक (कम्प्यूटर संवर्ग, मंत्रालयिक सेवा व अन्य) 33 प्रतिशत के अनुपात में कार्यालय समय में उपस्थित होंगे।
5. ई–मिशन (eMission) टीम के सदस्य व सलाहकार आदि वैकल्पिक दिवस (शनिवार सहित) के आधार पर कार्यालय समय में उपस्थित होंगे।

Scanned with CamScanner

6. अधिकारियों/कर्मचारियों **Work from Home** की स्थिति में दुरभाष पर उपलब्धता रखेगें एवं आवश्यकता होने पर आपको कार्यालय बुलाया जा सकता है।
7. विभाग में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों जो प्रदेश के किसी भी कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में रहते है, को कार्यालय मे उपस्थित होने की अनुमति नहीं हैं।
8. कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय में कोरोना से बचाव हेतु **Wearing of Mask & Social Distancing** की सख्ती से पालन करते हुए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी मोडिफाईड लॉकडाउन गाइडलाईन की अक्षरक्षः पालना करना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त ग्रुप हेड को निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 03, 04 एवं 05 के क्रम में अधिकारियों/कर्मचारियों (विभिन्न स्थानों पर कार्यरत कार्मिको सहित) की सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र (सॉफ्ट कापी) में ईमेल आई.डी. **oic.estt@rajasthan.gov.in** पर दिनांक 07.05.2020 तक भिजवाना सुनिश्चित करेगें।

कोरोना (COVID-19) के क्रम में जिन अधिकारियो/कर्मचारियों की वार रूम (War Room), 181 हेल्पलाईन, वीसी एवं नेटवर्किग, ई–बाजार, आई.सी.एम.आर. में लगाई गई ड्यूटी यथावत रहेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(बी.एस. नाथावत)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सू.प्रौ और संचार विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
3. समस्त ग्रुप हैड, सू. प्रौ. और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी वेबसाईट, सू. प्रौ. और संचार विभाग जयपुर।
5. अधिकरियों/कर्मचारियों को पालनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner

S.No.	Name	Post	Date of Present In Office	Officer Incharge	Group Head	Remark

Scanned with CamScanner